बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

मासिक/दैनिक भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियो/कार्यालय व्यवहार के उपयोग के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–2020 मे भाडे पर वाहन, जिनका निबंधन वाणिज्यक वाहन के रूप में हो, की आपूर्ति हेतु निबंधित सस्थानों/फर्मो से निविदा आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद निविदा **दिनांक 27.06.2018 अपराह्न 3:00 बजें** तक निबंधित/स्पीड पोस्ट/या हाथोंहाथ अद्योरस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदाओ को **दिनांक 27.06.2018 के अपराह्न 3:30 बजे** विभागीय क्रय समिति के समक्ष ,खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबद लिफाफे में देना होगा। निविदा की शर्त योजना एवं विकास विभाग के वेबसाईट **http://planning.bih.nic.in** पर या अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है। जमानत की राशि रू0–10,000/– (दस हजार) रू0 मात्र का डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा।

05.06.2018

उप निदेशक (लेखा)

योजना एव विकास विभाग,

बिहार, पटना।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

योजना एवं विकास विभाग के कार्यालय व्यवहार हेतु स्थानीय क्षेत्र पटना एवं पटना से बाहर राज्य के विभिन्न जिलों/प्रखण्डों में पदाधिकारियों के परिभ्रमण करने हेतु भाडे के वाहन यथा इनोवा/सफारी/स्कार्पियों/स्विफ्ट डिजायर/इंडिगों सीएस अथवा समकक्ष वाहन की आश्यकता है। इच्छुक निविदादाताओं से सील बंद निविदा दिनाक **27.06.2018** के **अपराह्न 3:00 बजे** तक आमत्रित की जाती है। प्राप्त सभी निविदाएँ निविदा समिति के समक्ष उसी दिन **अपराह्न 3:30 बजे** खोली जाएगी जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। वैसे फर्म जिन्हें निम्नांकित शर्त मान्य है, निविदा में भाग ले सकते है। निविदा की शर्त निम्नवत है:–

1. निविदादात द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नांकित कागजात रखे जायेंगे:

(i) निविदादाता फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(ii) पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 एव वित्तीय वर्ष 2017–18 का आयकर रिटर्न की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(iii) अग्रधन कुल 10,000/– (दस हजार) रूपये की बैंक ड्रॉफ्ट निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से मूल में समर्पित किया जायेगा।

(vi) इस आशय का शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्हें केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में नही रखा गया है।

(v) निविदादाता के फर्म का वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम 10 लाख रूपये का होना चाहिए।

2. निविदादाता द्वारा 'वित्तीय निविदा' निम्न प्रकार से देनी होगी:–

निविदा प्रारूप 'क' वाहन का मासिक दर (चालक, वाहन का रख–रखाव एवं ईधन सहित)				
क्रमाक	वाहन का विवरण	1000 कि0मी0 प्रति माह	1000 कि0मी0 के बाद अतिरिक्त प्रति कि0मी	रात्रि विश्राम की दर
1	2	3	4	5
i.	इनोवा/टाटासफारी–ए0सी0		**@RS**	
ii.	स्कॉरपियो–ए0सी0		**@RS**	
iii.	इडिगो सीएस/स्विफ्ट डिजायर–ए0सी0		**@RS**	

निविदा प्रारूप 'ख' वाहन का दैनिक दर (ईधन एवं चालक सहित)					
क्रमाक	वाहन का विवरण	80 कि0 मी0 अथवा 8 घटा	अतिरिक्त कि0 मी0	अतिरिक्त घटा	रात्रि विश्राम की दर
1	2	3	4	5	6
i.	इनोवा/टाटा सफारी–ए0 सी0	@RS	@RS	@RS	
ii.	स्कॉरपियो–ए0 सी0	@RS	@RS	@RS	
iii.	इडिगो सीएस /स्विफ्ट डिजायर–ए0 सी0	@RS	@RS	@RS	

3. तकनीकी निविदा के सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

अन्य शर्तः–

(I) निविदादाता के फर्म को आदेश दिये जाने के उपरात गन्तव्य/निदेशित स्थान के लिए गाडी उपलब्ध कराने के अनिवार्यता होगी।

(II) कार्य हेतु स्वीकृत सफल फर्म का दर दो वर्ष के लिए मान्य होगी। फर्म द्वारा कार्य अस्वीकार करने पर अग्रधन वापस नही किया जायेगा तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(III) निविदा समिति द्वारा कार्यहित एवं सुविधा की दृष्टिकोण से स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या अधिक फर्मो को कार्यादेश निर्गत किया जा सकता है।

(IV) निविदा सें संबधित कोई भी कागजात नही रहने पर या अपूर्ण रहने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा।

(V) निविदादाता द्वारा समर्पित किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्र/अभिलेख उनके द्वारा स्व–हस्ताक्षरित होना आवश्यक है अन्यथा उसकी मान्यता नही दी जायेगी।

(VI) नियमानुसार निर्धारित 'कर' कटौती के बाद ही भुगतान किया जायेगा।

(VII) स्वीकृत निविदादाता को शर्तो के अनुरूप एकरारनामा करना होगा।

(VIII) वाहन खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगा। वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था नही करने पर औसत दैनिक दर से दोगुनी दर की वसूली निविदादाता से की जायेगी।

(IX) फर्म/सस्थान को सेवा कर का निबधन अनिवार्य है। (छायाप्रति सलग्न करना होगा)

(X) फर्म/संस्थान द्वारा विगत वर्ष का आयकर रिटर्न निविदा के साथ सलग्न करना अनिवार्य है।

(XI) पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(XII) राज्य/केन्द्र सरकार के किसी विभाग अथवा सस्थान द्वारा काली सूची मे दर्ज नही किया गया है। इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करना अनिवार्य है।

(XIII) तकनीकी निविदा मे निर्धारित शर्तो को पूरा करने वाले निविदादाताओं के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

(XIV) वाहन सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराना होगा एवं पदाधिकारियो के कार्य अवधि/निदेशानुसार वाहन का परिचालन करना होगा अर्थात् वाहन उपलब्ध कराने के मामले में

कार्यालय हेतु निर्धारित अवधि के अतिरिक्त सबद्ध पदाधिकारी की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की अवधि निर्धारित होगी एवं उक्त अवधि मे वाहन उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(XV) सेवा में टूट होने पर उस दिन की समानुपातिक राशि के अलावे 500/- रूपये (पॉच सौ) रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड राशि की कटौती फर्म/संस्था के द्वारा दिये गये दावे से की जायेगी।

(XVI) जब भी जितनी सख्या मे गाडी की मॉग की जायेगी फर्म/सस्था को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अन्दर मॉग के अनुरूप गाडी उपलब्ध कराना होगा।

(XVII) चालक के अस्वस्थ होने पर तत्काल दूसरे चालक/वाहन की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।

(XVIII) वाहन मे ईधन की आपूर्ति एवं आवश्यक मरम्मति पर व्यय का वहन भी निविदादाता के द्वारा ही किया जायेगा।

(XIX) उद्धत दर सभी करों, निबधन, चालक व्यय, प्रदूषण जॉच, बीमा, मरम्मति, टॉल ट्रैक्स एव रख रखाव के साथ मानी जायेगी।

(XX) बिहार राज्य में वाणिज्यिक रूप से निबधित वाहन को ही भाडे पर लिया जायेगा।

(XXI) निविदादाता को अच्छी स्थिति में (Well Maintained) वाहन उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी तथा 2 (दो) साल से ज्यादा पुराना मॉडल का वाहन नहीं लिया जायेगा साथ ही वाहन 60,000 KM से अधिक नही चली हुयी होनी चाहिए।

(XXII) स्वीकृत सफल फर्म की दर पर योजना एवं विकास विभाग से सबंद्ध सभी संस्थान यथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/मुल्यांकन निदेशालय/योजना पर्षद/बिहार साख्यिकी तत्र विकास अभिकरण द्वारा आवश्यकता अनुसार अधियाचना की जा सकेगी।

(XXIII) वाहन परिचालन के दौरान किसी प्रकार की क्षति या आकस्मिक दुर्घटना के लिए योजना एव विकास विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

(XXIV) प्रतिदिन की गणना हेतु शून्यकाल से रात्रि के मध्यकाल तक एक दिन मान्य होगा।

(XXV) निविदादाता द्वारा वाहन नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में अथवा उपलब्ध कराये गये खराब वाहनों की स्थिति एव सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अग्रधन की जमा राशि को जब्त किया जा सकता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नही होगा।

(XXVI) (क) इनोवा/टाटा सफारी, (ख) स्कॉर्पियों एव (ग) इंडिगो सीएस/स्वीफ्ट डिजायर वाहनों के लिए क्रमश प्राथमिकता (Weigtage) 40%, 40% एवं 20% रखी गयी है, अर्थात वाहनों का दर उपर्युक्त प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करते हुए न्यूनतम आकलित दर वाले निविदादाता का चयन किया जायेगा।

(XXVII) अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदा मे संशोधन/स्थगित या रद्द कर सकते है। इसके विरूद्ध कोई भी दावा कहीं भी स्वीकार नही होगा।

(XXVIII) विवाद की स्थिति मे प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

05.06.2018

उप निदेशक (लेखा)
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना।